

**संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश  
जावक प्रेषणों का अनुमोदन/ रिपोर्टिंग**

**फार्म ओडीआइ भरने के लिए अनुदेश**

(आवेदक इस भाग को अलग करके अपने पास रखें)

फार्मों का यह सेट भारतीय पार्टियों द्वारा समुद्रपारीय निवेशों से संबंधित मूल सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करता है (समय-समय पर यथासंशोधित जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना फेमा 120/आरबी-2004 में यथापरिभाषित)।

- भाग I में संयुक्त उद्यमों/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों, भारतीय पार्टियों और समुद्रपारीय कंपनियों की वित्तपोषण प्रणाली के ब्योरे हैं।
- भाग II प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा प्रमाणित प्रेषणों की रिपोर्टिंग करता है।
- भाग III वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट है जिसमें समुद्रपारीय कंपनियों के कार्य निष्पादन के संक्षिप्त ब्योरे हैं तथा
- भाग IV का उपयोग विनिवेश/ परिसमापन/बंद करने के समय किया जाना है।

भाग I का खण्ड ई विवेचनात्मक है क्योंकि इसमें स्वामित्व संरचना और वित्तीय प्रणाली के संबंध में सूचनाएं शामिल की गई हैं। इसके अलावे भारत से प्रेषणों के ब्योरों के अतिरिक्त भाग I एसपीवी/ समुद्रपारीय सहायक संस्थाओं, विदेशी भागीदारों के शेयर, इत्यादी के माध्यम से निधियन के पूरे ब्योरे रिपोर्ट अवश्य करें।

- (1) फार्म के भाग I (खण्ड इ को छोड़कर) को स्वतः अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों में निवेश की अनुमति चाहनेवाले भारतीय पार्टी द्वारा भरा जाना और नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को जमा किया जाना है। विस्तार, विलयन, अतिरिक्त पूंजी लगाने के रूप में प्राथमिक प्रेषण/ अनुमोदन के परिवर्तन के समय जब कभी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों के प्रारंभिक पूंजी अथवा वित्तीय संरचना की रिपोर्टिंग भारतीय रिजर्व बैंक को की जाती है, भाग I (खण्ड इ और ई) प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- (2) स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत नये प्रस्ताव के मामलों में, प्रेषण करने के तुरंत बाद नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक फार्म के भाग II के साथ भाग I, विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, अमर भवन, मुंबई 400001 को भेजें।
- (3) अनुमोदन मार्ग के तहत जांच पड़ताल के बाद फार्म का भाग I प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा उनके सिफारिशों के साथ उपर्युक्त पते पर रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाए। अनुमोदित होने पर फार्म का भाग I प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को लौटा दिया जाएगा और प्रेषण के तुरंत बाद प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा उसे फार्म के भाग II के साथ उपर्युक्त पते पर रिजर्व बैंक को पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (4) अनुपूरक प्रेषणों के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक फार्म का केवल भाग II पूरी तरह भरकर रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करे। फिर भी, यदि संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के पूंजी संरचना/ वित्तपोषण प्रणाली में प्राथमिक निवेश के रिपोर्टिंग के बाद कोई परिवर्तन हुआ है तो फार्म के भाग I (खण्ड अ और आ को छोड़कर) को भाग II के साथ प्रस्तुत करने की जरूरत है।
- (5) एक ही संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में एक से अधिक भारतीय प्रवर्तकों द्वारा निवेश के मामले में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के लिए नामित प्राधिकृत व्यापारी ऐसे प्रत्येक प्रवर्तक के ब्योरे एकल फार्मेट में दें।

- (6) वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (भाग III) उपर्युक्त पते पर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के अस्तित्व में बने रहने तक प्रत्येक वर्ष उनके वार्षिक खाताबन्दी के तीन महीने के अंदर नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- (7) विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये की सभी राशियां **मात्र हज़ार** में होनी चाहिए।
- (8) जब संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों की बंदी/समापन/विनिवेश/ परिसमापन आदि होता है तो उपर्युक्त पते पर विनिवेश के 30 दिनों के अंदर फार्म के भाग IV में इसकी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की जाए।
- (9) यहां प्रस्तुत सूचना को पब्लिक डोमेइन में रखने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित है।

### **रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदन के लिए, भाग I के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।**

- (क) भारतीय पार्टी के बैंकों से प्राप्त रिपोर्ट मुहर बंद/ बंद लिफाफे में।
- (ख) अद्यतन वार्षिक लेखे, अर्थात् निदेशकों की रिपोर्ट के साथ भारतीय पार्टी के तुलनपत्र और लाभ-हानि खाते।
- (ग) निम्नानुसार अतिरिक्त दस्तावेज, यदि वर्तमान विदेशी कंपनी को आंशिक/पूर्ण रूप से लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं।
  - (i) विदेशी कंपनी के निगमन के प्रमाणपत्र की एक प्रति;
  - (ii) अद्यतन वार्षिक लेखे अर्थात् निदेशकों के रिपोर्ट के साथ विदेशी कंपनी के तुलनपत्र और लाभ हानि खाते; तथा
  - (iii) निम्नलिखित से प्राप्त शेयर मूल्यांकन प्रमाणपत्र की एक प्रति :
    - सेबी के पास पंजीकृत श्रेणी I मर्चेन्ट बैंकर्स अथवा मेजबान देश में उचित नियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत किसी निवेश बैंकर मर्चेन्ट बैंकर, जहां निवेश 5 मिलियन अमरीकी डॉलर ( पांच मिलियन अमरीकी डॉलर) से अधिक है, तथा
    - अन्य सभी मामलों में सनदी लेखाकार अथवा अधिप्रमाणित सरकारी लेखाकार द्वारा
- (घ) प्रस्तावित निवेश को अनुमोदित करनेवाली भारतीय पार्टी/पार्टियों के निदेशक मण्डल के संकल्प की एक प्रमाणित प्रति।
- (ङ) वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश के मामले में निम्नलिखित आशय का सांविधिक लेखापरीक्षक/ सनदी लेखाकार से प्राप्त एक प्रमाणपत्र कि भारतीय पार्टी :
  - (i) ने वित्तीय सेवा कार्यकलापों से पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निवल लाभ प्राप्त किया है
  - (ii) वित्तीय सेवा कार्यकलाप करने के लिए भारत में उचित नियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत है
  - (iii) भारत और विदेश में संबंधित नियामक प्राधिकरण से विदेश में वित्तीय क्षेत्र कार्यकलापों में निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त किया जाए।
  - (iv) भारत में संबंधित नियामक प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित पूंजी पर्याप्तता से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्डों को पूरा किया है।

### **समुद्रपारीय निवेश - स्वामित्ववाली प्रतिष्ठान/ गैर पंजीकृत भागीदारी फर्म**

मार्च 27, 2006 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.29 के पैरा 4 के अनुसार पात्र स्वामित्ववाले प्रतिष्ठान/ गैर पंजीकृत भागीदारी फर्म अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से फार्म ओडीआइ के भाग I में उनकी सिफारिशों के साथ मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, फोर्ट, मुंबई 400001 को आवेदन करें।

फार्म ओडीआइ

भाग I

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

प्राप्ति की तारीख. ....

आवक सं. ....

खण्ड अ : भारतीय पार्टी के ब्योरे

(I) (i) स्वतः अनुमोदित मार्ग (ii) अर्जन मार्ग के अंतर्गत निवेश  
(अगर एक से ज्यादा भारतीय पार्टी हो तो प्रत्येक पार्टी के लिए अलग शीट पर सूचना दी जाए)

(II) भारतीय पार्टी का नाम \_\_\_\_\_

(III) भारतीय पार्टी का पता \_\_\_\_\_

शहर \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_

(IV) संपर्की \_\_\_\_\_ पदनाम \_\_\_\_\_

टेलीफोन सं. \_\_\_\_\_ फैक्स \_\_\_\_\_

(V) भारतीय पार्टी का हैसियत : (कृपया योग्य श्रेणी पर टिक लगाएं)

(1) पब्लिक लिमिटेड कंपनी  (2) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

(3) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम  (4) पंजीकृत भागीदारी

(5) स्वामित्व  (6) अपंजीकृत भागीदारी

(7) ट्रस्ट  (8) सोसायटी

(9) अन्य

(VI) भारतीय पार्टी का कार्यकलाप कूट\* \_\_\_\_\_

\*3-डिजिट स्तर पर एनआइसी कूट

[अगर भारतीय पार्टी वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत हो अथवा स्वामित्व, गैर-पंजीकृत भागीदारी अथवा वित्तीय क्षेत्र श्रेणी में आता हो तो नीचे मद VII में ब्योरे दिए जाएं]।

**(VII) भारतीय पार्टी के पिछले 3 वर्ष के वित्तीय ब्योरे**

(₹.000 में राशि)

ब्योरे	वर्ष 1 31-3-	वर्ष 2 31-3-	वर्ष 3 31-3-
विदेशी मुद्रा अर्जन (संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी को ईक्विटी निर्यात से इतर)			
निवल लाभ			
प्रदत्त पूंजी			
(क) भारतीय पार्टी			
(ख) कंपनी समूह@ के निवल मालियत			

@ जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं.फेमा 120/आरबी-2004 के विनियम 6(3) के स्पष्टीकरण के अनुसार

(VIII) भारतीय पार्टी और उसके समूह के कंपनियों के मौजूदा संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों, जो पहले से परिचालन में हैं अथवा कार्यान्वित हो रहे हैं, के ब्योरे :

क्रम सं.	भारतीय पार्टी का नाम	रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित विशिष्ट पहचान सं.
1.		
2.		
3.		

**(IX) क्या प्रस्तावित निवेश (योग्य बॉक्स में टिक लगाएं)**

(क) नयी परियोजना है  (खण्ड आ में ब्योरे दें)

(ख) वर्तमान परियोजना है\*  (कृपया खण्ड इ में ब्योरे दें)

\*भारतीय पार्टी द्वारा प्रवर्तित मौजूदा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में स्टेक का अधिग्रहण

**खण्ड आ : नयी परियोजना में निवेश के ब्योरे**

केवल रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए विशिष्ट पहचान सं.											

(I) निवेश का प्रयोजन (कृपया योग्य श्रेणी में टिक लगाएं)

(क) संयुक्त उद्यम में भागीदारी (ख) पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में अंशदान

- (ग) विदेशी कंपनी का पूर्ण अधिग्रहण
- (घ) विदेशी कंपनी का आंशिक अधिग्रहण
- (ङ) अनिगमित कंपनी में निवेश
- (च) अन्य
- (II) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के ब्योरे
- (क) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का नाम
- (ख) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का पता
- (ग) देश का नाम
- (घ) ई-मेल
- (ङ) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का लेखा वर्ष
- (III) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का कार्यकलाप कूट
- (IV) क्या संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी एसपीवी है? (हां/नहीं) \*
- # अगर हां, तो खण्ड ई में ब्योरे दें

#### प्रस्तावित पूंजी संरचना

	[क] भारतीय पार्टी/पार्टियां	% स्टेक		[ख] विदेशी भागीदार	% स्टेक
(1)			(1)		
(2)			(2)		
(3)			(3)		

#### खण्ड इ : मौजूदा परियोजना में निवेश के ब्योरे

केवल रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए विशिष्ट पहचान सं.											

- (I) अनुपूरक निवेश का प्रयोजन (योग्य श्रेणी पर टिक करें)
- (क) मौजूदा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में ईक्विटी में वृद्धि
- (ख) अधिमान ईक्विटी/परिवर्तनीय ऋण में वृद्धि
- (ग) मौजूदा संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में ऋण मंजूरी वृद्धि
- (घ) गारंटियों का विस्तार/ वृद्धि
- (ङ) अनिगमित कंपनी को प्रेषण
- (च) अन्य

#### (II) पूंजी संरचना

	[क] भारतीय पार्टी/पार्टियां	% स्टेक		[ख] विदेशी भागीदार	% स्टेक

(1)			(1)		
(2)			(2)		
(3)			(3)		

**भाग ई - संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के लिए वित्तपोषण**

(राशि एफसीवाय 000 में)

I	समुद्रपारीय अधिग्रहण का पूर्ण मूल्य			
II	भारतीय पार्टी के लिए समुद्रपारीय अधिग्रहण की आनुमानिक कीमत			
III	वित्तीय प्रतिबद्धता* (लागू एफसीवाय में): एफवायसी राशि			
IV	भारतीय पार्टी द्वारा निवेश की पद्धति			
	(i) नकदी प्रेषण			
	(क) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा			
	(ख) बाजार खरीद			
	(ii) निम्नलिखित का पूंजीकरण			
	(क) संयंत्र और मशीनरी का निर्यात			
	(ख) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)			
	(iii) एडीआर/जीडीआर (समुद्रपार में उगाही गई)			
	(iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड			
	(v) शेयरों का स्वैप			
	(vi) अन्य (कृपया उल्लेख करें)			
	कुल अ [भारतीय पार्टी]			
V.	क्या संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी एसपीवी है (हां/नहीं)			
	(क) अगर हां, तो एसपीवी का प्रयोजन			
	i) समुद्रपारीय अधिग्रहण का पूर्ण मूल्य			
	ii) एसपीवी द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष इन्फ्यूजन			
	iii) भारतीय पार्टी से गारंटी/ प्रति गारंटी के साथ समुद्रपार में उगाही निधियां			
	iv) भारतीय पार्टी से गारंटी/ प्रति गारंटी के बिना समुद्रपार में उगाही निधियां			
	v) विदेशी निवेशकों द्वारा ईक्विटी/अधिमान ईक्विटी/ शेयरधारक के ऋण के रूप में अंशदान की गई निधियां			
	vi) प्रतिभूतिकरण (सेक्यूरिटाइजेशन)			
	vii) अन्य किसी रूप में (कृपया उल्लेख करें)			
VI.	गारंटियां/अन्य गैर-निधि आधारित प्रतिबद्धताएं			

टिप्पणी\* : जुलाई 7, 2004 की फेमा 120/आरबी-2004 खण्ड 2(च) में यथापरिभाषित वित्तीय प्रतिबद्धता - वित्तीय प्रतिबद्धता का अर्थ ईक्विटी, ऋण के रूप में प्रत्यक्ष निवेश की राशि और भारतीय पार्टी द्वारा अपने समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम कंपनी अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी को अथवा उनकी ओर से जारी गारंटी राशि का 100 प्रतिशत।

## भाग उ : भारतीय पार्टी द्वारा घोषणा

I(क) क्या आवेदक पार्टी(पार्टियां), उसके प्रवर्तक, निदेशक, आदि किसी जांच/ प्रवर्तन एजेंसी अथवा विनियामक निकाय द्वारा जांच के अधीन है? अगर हां, तो छानबीन अधिनिर्णय के वर्तमान चरण/ मामले के निपटान का ढंग सहित उसके संक्षिप्त ब्योरे।

---

---

(ख) क्या प्रवर्तक भारतीय पार्टी(पार्टियां) वर्तमान में निर्यात प्राप्ति की वसूली न होने की वजह से रिजर्व बैंक की निर्यातकों की सतर्कता सूची में है अथवा रिजर्व बैंक द्वारा परिचालित बैंकिंग प्रणाली के चूककर्ताओं की सूची में है/हैं? अगर हां, तो भारतीय पार्टी(पार्टियों) की हैसियत:

---

---

(ग) प्रस्तावित कंपनी को स्थापित/अधिगृहीत करने के लिए मेजबान देश में उपलब्ध कोई विशेष लाभ/ प्रोत्साहन सहित इस प्रस्ताव से संबंधित कोई अन्य सूचना।

---

---

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है।

\_\_\_\_\_  
(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

स्थान : \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

मुहर/मुद्रा नाम : \_\_\_\_\_

पदनाम : \_\_\_\_\_

संलग्नकों की सूची :

- |    |    |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

\*\*\*\*\*

### खण्ड ऊ : भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखाकार का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि समय-समय पर यथासंशोधित जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 (विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004) में निहित शर्तों का रिपोर्ट किए जा रहे निवेश के संबंध में भारतीय पार्टी ने अनुपालन किया है। विशेष रूप से यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- (i) निवेश भूमि भवन उनमुख अथवा बैंकिंग कारोबार में नहीं है, और
- (ii) पहले किए गए समुद्रपारीय निवेश और निर्यात और पूंजीकृत अन्य देय/ शेयरों का स्वैप/ स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विदेश में निवेश के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेष के साथ निवेश के प्रेषण के लिए प्रस्तावित विदेशी मुद्रा खरीद की राशि

रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित सीमाओं के अधीन है। इसकी अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख अर्थात् . . . . . को भारतीय पार्टी की निवल मालियत के संदर्भ में सत्यापन किया गया है।

(iii) निवेश के लिए निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन किया गया है।

(iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

(v) भारतीय पार्टी ने (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सेवा कार्यकलाप से निवल लाभ प्राप्त किए हैं, (ख) भारत के विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के विवेकपूर्ण मानदण्डों को पूरा किया है, (ग) वित्तीय सेवा कार्यकलाप करने के लिए भारत में उपर्युक्त विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकरण किया गया है और (घ) भारत और विदेश में संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से वित्तीय सेवा क्षेत्र कार्यकलापों में निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है\*।

टिप्पणी : \*केवल वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश के मामलों में लागू (उदा. बीमा, म्यूचुअल फण्ड, परिसंपत्ति प्रबंधन, आदि)

# बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेषों के माध्यम से निवेश के निधीयन के मामलों में लागू।

**(कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर)**

**फर्म का नाम, मुहर और पंजीकरण सं.**

\* \* \* \* \*



**भाग II**  
**विप्रेषणों की रिपोर्टिंग**

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

प्राप्ति की तारीख -----

आवक सं. -----

वर्तमान संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में निवेश के मामले में कृपया पहले से आबंटित विशिष्ट पहचान सं. लिखें :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- (I) भारतीय कंपनी का नाम \_\_\_\_\_
- (II) क्या, पिछले रिपोर्टिंग के बाद कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन हुआ है? (हां/नहीं) \_\_\_\_\_  
अगर हां, तो कंपनी का पुराना नाम \_\_\_\_\_

किए गए वर्तमान विप्रेषणों के ब्योरे

(राशि एफसीवाय के 000 में)

रिपोर्टिंग प्राधिकृत व्यापारी का कोड		विदेशी मुद्रा**	
(क) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(ख) बाजार खरीद द्वारा			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(ग) एडीआर/जीडीआर निधियों से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(घ) शेयरों के स्वैप द्वारा			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	स्वैप की तारीख
		XXXX	

(ड) भारत में/भारत के बाहर रखे गए बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेषों से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	लेनदेन की तारीख
(च) निर्यात/अन्य प्राप्तियों का पूंजीकरण@			
पूंजीकरण की तारीख:		राशि :	
(छ) जारी की गई गारंटी : दिनांक		राशि :	
(नया/विस्तारित वर्तमान गारंटी अवधि)			

वैधता अवधि	
------------	--

टिप्पणी : \*\* कृपया एसडब्ल्यूआइएफटी कोड के अनुसार विदेशी मुद्रा का नाम दर्शाएं।  
 @ कृपया पूंजीकृत किए जा रहे अन्य प्राप्यों अर्थात् रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क, परामर्शी शुल्क, आदि का उल्लेख करें।

हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि विप्रेषण (जो लागू न हो उसे काट दें)

- i) निर्धारित शर्तों की भारतीय पार्टी द्वारा अनुपालन की पुष्टि करते हुए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर स्वतः अनुमोदित मार्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है;
- ii) रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुमोदन पत्र के शर्तों के अनुसार है; तथा
- iii) इस बात से संतुष्ट होने के कि दावा, विदेश में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी को/की ओर से जारी गारंटी के शर्तों के अनुपालन में है, इन्वोकड गारंटी विप्रेषण के संबंध में विप्रेषण किया गया है।

स्थान  
दिनांक:

मुहर/मुद्रा
-------------

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम :  
पदनाम :  
टेलीफोन सं. :  
फैक्स सं. :

### भाग III

#### वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (एपीआर)

(जब तक संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी अस्तित्व में है, प्रति वर्ष संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के वार्षिक लेखाबंदी के तीन महीने के अंदर सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित कराके नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के माध्यम से प्रेषित किया जाए)

I. वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) की तारीख : \_\_\_\_\_

II. विशिष्ट पहचान सं. :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(कृपया

भारिबैंक द्वारा जारी 13 अंकोंवाली विशिष्ट पहचान संख्या लिखें)

III. पिछले रिपोर्ट के बाद पूंजी संरचना में परिवर्तन

	राशि (नयी)	प्रतिशत शेयर (नया)
भारतीय		
विदेशी		

**IV. पिछले दो वर्षों के लिए संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के परिचालनात्मक ब्योरे**

(राशि 000 विदेशी मुद्रा में)

	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
i) निवल लाभ/ (हानि)		
ii) लाभांश		
iii) निवल मालियन		

**V. संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी से प्रत्यावर्तन****संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों से विदेशी मुद्रा अर्जन**

	... .. को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान	कारोबार की शुरुवात से
(i) लाभ		
(ii) लाभांश		
(iii) प्रतिधारित अर्जन*		
(iv) भारत में निवेश		
(v) अन्य** (कृपया उल्लेख करें)		

\* (संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के लाभ के अंश जो प्रतिधारित हैं और जिनका संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में पुनः निवेश किया गया है, को दर्शाता है)

\*\* (रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क, परामर्शी शुल्क, आदि)

**VI. पिछले रिपोर्टिंग से स्टेप डाउन सहायक कंपनियों में निवेश**

देश	
संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का नाम	
निवेश की राशि	

स्थान : \_\_\_\_\_

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

दिनांक : \_\_\_\_\_

**मुहर/मुद्रा**

नाम : \_\_\_\_\_

पदनाम : \_\_\_\_\_

(कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर)

फर्म का नाम, मुहर और पंजीकरण सं.

**बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर :****नाम :****पदनाम :**

#### भाग IV

संयुक्त उद्यम/संपूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के बंद होने/विनिवेश/ स्वैच्छिक परिसमापन/ समापन रिपोर्ट  
नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा प्रेषित किया जाए( सभी राशि विदेशी मुद्रा में, हज़ारों में)

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम और पता :

प्राधिकृत व्यापारी कूट : \_\_\_\_\_

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आबंटित यूनीक पहचान संख्या

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

क्या वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है?

पिछले वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट से संबद्ध अवधि और प्रस्तुति की तारीख : \_\_\_\_\_

**निवेश के ब्योरे**

ईक्विटी	ऋण	जारी गारंटी

(I) प्राधिकृत व्यापारी बैंक श्रेणी-I का नाम

(II)

**विप्रेषण के ब्योरे**

ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)

पिछले रिपोर्टिंग के बाद कंपनी की पूँजी संरचना में कोई परिवर्तन हुआ है

ईक्विटी	ऋण जारी गारंटी

विनिवेश पर प्रत्यावर्तित राशि

ईक्विटी	ऋण

यह प्रमाणित किया जाता है कि (जो लागू न हो उसे काट दें)

I.(क) बिक्री ऐसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की गई है जहां समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/संपूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के शेयर सूचीबद्ध हैं;

(ख) अगर शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न हो और शेयरों का विनिवेश निजी व्यवस्था द्वारा किया गया हो, तो शेयर की कीमत, सनदी लेखाकार/ प्रमाणित शासकीय लेखाकार द्वारा संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की आखिरी लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित शेयरों के प्रमाणित उचित मूल्य से कम न हो;

(ग) भारतीय पार्टी का संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था से लाभांश, तकनीकी जानकारी फी, रॉयल्टी, परामर्श सेवा, कमीशन अथवा अन्य पात्रताओं और/अथवा निर्यात प्राप्तियों के तौर पर कोई बकाया देय न हो;

(घ) समुद्रपारीय संस्था कम-से-कम एक वर्ष से कार्य कर रही हो तथा उस वर्ष के वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की गई हो

(OE) भारतीय पार्टी केन्द्रीय जांच ब्यूरो/प्रवर्तन निदेशालय/सेबी/बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अथवा भारत में किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा जांच के अधीन नहीं है।

स्थान :

दिनांक : (बैंक के ०८१ाधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

टेलीफोन सं. :

फैक्स सं. :

मुहर/मुद्रा